न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

वाद सं0 एम0 139 / 2021

प्रथम पक्ष– मुनी देवी .... वगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष–प्रदुमन सिंह........... वगैरह ।

धारा 107 द0 प्र0 सं0

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
1	2	3
1 26/8/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 06 / 2022 दिनांक 08 / 02 / 2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) मुनी देवी उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 तिलकमैन नायक (2) बजरंग नायक उम्र 25 वर्ष पिता तिलकमैन नायक दोनों ग्राम पालकोट हरिजन टोली थाना–पालकोट,जिला–गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) प्रदुमन सिंह उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 अमीन सिंह (2) शशि कुमार सिंह उम्र 28 पिता प्रदुमन सिंह (3) जगेश्वर सिंह उम्र 30 वर्ष पिता स्व0 भीमकरण सिंह तीनों सा0 लिटिमडीपाटोली बजार टांड नियर महेन्द्र डा0 (4) लाल सिंह उम्र 59 वर्ष पिता स्व0 मनराज सिंह ग्राम मतरडेगा थाना पालकोट जिला गुमला के बीच जमीन को लेकर आपसी विवाद होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद की कारर्दवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार की शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट से अप्राप्त है। वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	

Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR
Date: 2022.09.08 14:38:14 +05:30
Location: 192.168.235.239